न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
66 / 2022	2022 / 156	26.05.2022	31.08.2022

उनवान प्रकरण

प्रभात पुत्र बोदू उम्र 65 साल जाति जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी डेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––वादी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रतिवादी

उपस्थितः–

श्री झाबर सिंह भारणी, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीइस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर [illegible] (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1800 रक्बा [illegible] रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम प्रभात पुत्र नन्दा हिस्सा 1/8 [illegible] के पिता का नाम [illegible] गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:42 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दर्ज है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम बोदू है। वादी के पिता का वास्तविक नाम बोदू है तथा वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, भामाषाह कार्ड, बैंक पास बुक आदि में भी यही नाम दर्ज है परन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी में वादी के पिता का नाम गलत रूप से बोदू अंकित हो गया है जिसके कारण वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओ में परेशानी होती है तथा किसान केडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है। इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी के पिता का नाम नन्दा के स्थान पर बोदू घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है **तथा यहां यह भी महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि** वादी के नाम अन्य खातेदारी की कृषि भूमियां है जिनमें नामान्तकरण संख्या–89 दिनांक 24–7–03 के द्वारा वादी का नाम प्रभात पि. नन्दा के स्थान पर प्रभात पि. बोदू दुरूस्त किया जा चुका था परन्तु उक्त कृषि भूमि सहवन से छूट गयी थी। वादी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से उक्त सही नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो अदालत में दावा प्रस्तुत करने हेतु कहा। इसलिए माननीय न्यायालय में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि:– तन ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1800 रक्बा 1.1500 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी–प्रभात के पिता का नाम नन्दा के स्थान पर बोदू घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे तथा उक्तानुसार दुरूस्ती करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार को आदेश प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी के असालतन तामील उपरान्त हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2194/भू.अ./2022 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:42 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्राप्त हो चुकी है। साक्ष्य वादी में वादी प्रभात व वादी गवाह में बीरबल पुत्र सुण्डाराम के लिखितशुदा शपथ पत्र एंव फर्द दस्तावेजात् के संलग्न किता–6 दस्तावेजात पेश हुए। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने एंव साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, बैंक ऑफ इण्डिया की पास बुक, पंजाब नेशनल बैंक की पास बुक, जन आधार कार्ड, सरपंच, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि मे भी वादी के पिता का नाम प्रभात पुत्र बोदूराम ही अंकित होना प्रकट होता है एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में वादी के पिता का नाम प्रभात पुत्र नन्दा हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम प्रभात पुत्र बोदूराम होना रिकार्ड दस्तावेजात् से प्रमाणित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में वादी के पिता का नाम प्रभात पुत्र नन्दा हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का कल्याणपुरा ने उक्त भूमि में दर्ज प्रभात पुत्र नन्दा का वास्तविक नाम प्रभात पुत्र बोदूराम ही होना बताया है। वादी के दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में वादी के पिता का नाम प्रभात पुत्र बोदूराम ही दर्ज है। पटवारी हल्का कल्याणपुरा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रभात पुत्र नन्दा के स्थान पर प्रभात पुत्र बोदूराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की हैं। तहसीलदार [illegible]पुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार भी वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक ऑफ इण्डिया की पास बुक, पंजाब नेशनल बैंक की पास बुक, परिवार राशन कार्ड आदि में भी वादी के पिता का नाम प्रभात पुत्र बोदूराम अंकित होना बताया है। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore
31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर ने राजस्व रिकार्ड में प्रभात पुत्र नन्दा की जगह प्रभात पुत्र बोदूराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1800 रक्बा 1.1500 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज वादी प्रभात के पिता का नाम ''नन्दा'' के स्थान पर ''बोदूराम'' घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:42 IST
Reason: SelfAttested

21/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)